



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 490]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 15, 2017/ज्येष्ठ 25, 1939

No. 490]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 15, 2017/JYAISTHA 25, 1939

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2017

**सा.का.नि. 592(अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में नियंत्रक महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात्, केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) (संशोधन) नियम, 2017 है।  
(2) ये नियम 1 जनवरी, 2016 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।
2. केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 में —  
(क) नियम 3 में, खंड (v) में, अंक "2006" के स्थान पर अंक "2016" रखे जाएंगे;  
(ख) नियम 12 में, "इन नियमों की अधिसूचना की तारीख" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"1 जनवरी, 2016 और यह केन्द्रीय सरकार के उन पदों जो केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत नहीं आते, पर प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारियों के वेतन पर लागू होगा।"







